

धारा (4) (1) ख (viii)

ऐसे बॉर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिसका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बॉर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यव्रत तक जनता की पहुंच होगी, विवरणी।

मत्स्य निदेशालय के अधीन सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के तहत, स्क्रीनिंग समिति, क्रय समिति, स्थानान्तरण एवं पदस्थापन समिति, प्रोन्नति समिति का गठन है, लेकिन इसके बैठकों के कार्यव्रत तक जनता की पहुंच का प्रावधान नहीं है।

